<u>प्रेस नोट</u>

<u>14.02.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने **हरिशंकर गुर्जर एवं अन्य** के मामले में जब्त की गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है, जो मीनल रेजीडेंसी, भोपाल में स्थित दो स्वतंत्र मकानों के रूप में हैं और जिनका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों रुपए है।

ईडी ने लोकायुक्त पुलिस, भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आईपीसी, 1860 के तहत हरिशंकर गुर्जर (वन विभाग, खंडवा, मध्य प्रदेश में रेंजर) और उनकी पत्नी श्रीमती सीमा गुर्जर के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि अपराध की आय (पीओसी) और हरिशंकर गुर्जर, श्रीमती सीमा गुर्जर और उनके बेटे अभिषेक गुर्जर की विभिन्न अचल संपत्तियों का पता लगाने और उनकी पहचान करने वाले मनी ट्रेल्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पाए गए थे और इसलिए, उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था, और बाद में एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पीएमएलए द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। इसके बाद, विशेष न्यायालय, पीएमएलए, भोपाल ने पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने के बाद, अपने आदेश दिनांक 29.04.2023 के तहत, हरिशंकर गुर्जर और सीमा गुर्जर को दोषी ठहराया और उन्हें 03 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और कुर्क की गई संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया। जब्ती आदेश को बाद में माननीय उच्च न्यायालय और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2025 के आदेश के तहत बरकरार रखा गया, जिसमें उपरोक्त 02 संपत्तियां शामिल हैं। तदनुसार, उपरोक्त संपत्तियों का भौतिक कब्जा इस निदेशालय द्वारा ले लिया गया है।